| | |
|---|---|
| 9/3/2021 | वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हस्ब कायदा दाखिल दफ्तर हो। |

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)
पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिंह परमार आर.ए.एस

मु.न. 32/2016 | किस्म मुकदमा दर0 रिसवरी | ता.रजू 24.11.2016

उनवान

ठाकुर जी गोविन्द देव जी महाराज पंच महाजन अग्रवाल करौली जरिये प्रबन्धकगण एवं नैक्सडफ्रेण्ड रामजीलाल पुत्र हजारीलाल रामजीलाल पुत्र रतन लाल महाजन निवासी करौली

--सायल

**बनाम**

1 प्रकाश चंद दत्तक पहुत्र हरदयाल पाण्डे जाति ब्राहमण निवासी हिण्डौन दरवाजे के पास करौली
2 चौथमल पुत्र हरदायाल जाति ब्राहमण निवासी हिण्डौन दरवाजे के पास करौली तहसील करौली

**निर्णय** दिनांक 09.03.2021

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने यह प्रार्थना पत्र रिसीवर इस आशय का प्रस्तुत किया है कि गैरसायल का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है जिसमे तारीख पेशी 16.10.2000 नियत है । सायल ठाकुरजी गोविन्द जी विराजमान मंदिर गोविन्द देवजी अनाज मण्डी करौली शाश्वत नाबालिग है, जिसकी सेवा पूजा जमीन जायदाद की व्यवस्था व देख रेख अग्रवाल समाज करौली द्वारा की जाती है। पंच अग्रवाल द्वारा मे रामजीलाल पुत्र हजारी लाल रामजीलाल पुत्र रतनलाल को जमीनो का संचालन व्यवस्था सुरक्षा व वाद प्रस्तुत करने व अन्य कानूनी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया है। इस लिए दावा व प्रार्थना पत्र सायल वादी की ओर से जरिये प्रबंधकगण व नैक्टफ्रेण्ड की हैसीयत से हमारे द्वारा पेश किया जा रहा है। हमारा सायल ठाकुरजी से कोई एडवर्स इनट्रेस्ट नही है आराजी खसरा नम्बर 420 लगायत 426,429,430,431 कुल किता 10 कुल रकवा 13 वीधा 18 विस्वा कस्वा करोली सायल के खातेदारी व कब्जे काश्त की है इन आराजीयात से ठाकुरजी का राज भोग सेवा पूजा आदि इन्तजाम का खर्चा चाहता है आराजीयात मुतनाजा गैरसायला नम्बर 1 या हब्बो /रामदयाल का कोई ताल्लुक नही रहा है सायल की वाहिद खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है सम्बत 2010 से 2013 की जमाबन्दी नकल पेश की जा रही है जिसमे सायल के हक मे इन्द्राज मौजूद है मिलान क्षेत्रफल भी पेशकिया है । सैटिलमेंट विभाग ने गैरकानूनी तरीके से रेवेन्यु रिकार्ड मे सायल का नाम हटाकर हरदयाल पुत्र कन्हैया जाति ब्राहमण के नाम गैर कानूनी तरीके से कर दिया सैटिलमेंट विभाग सिर्फवारिसी या अदायलत के आदेशानुसार ही एन्ट्री चेन्ज कर सकता है। हरदयाल ने गलत तरीके से सैटिलमेंट विभाग से मिलकर एन्ट्री कराली गैरसायलान प्रकाश अपने आपको दत्तक पुत्र बताते हुये व चौथमल,हरदयाल का लडका बताकर जमीन को हरदयाल हब्बो की एन्ट्री का फायदा लेकर अपने नाम करा कर रहन वय करने व प्लाटिग करने पर आमादा है और बतौर ट्रेस पासर का काबिज है। दिनांक 14.11.1998 को ... का कब्जा सायल को देने व खाता सायल के नाम कराने को कहा तो साफ ... कार ... या सायल की हकूक खातेदारी से इन्कार करने लग गया तथा ... कि ... अपने हक मे खुलवाउगा और प्लाट काटूगा व रहन ... कर निर्माण कराउंगा और गैरसायलान टी. आई से मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने के लिए ... वय नही करने पाबद हो चुके है। गैरसायलान जबरन जमीनो मे प्लाट काट रहे है और जमीनो को खुर्द बुर्द कर रहे है एवं वादी को जमीन के लाभ नही लेने दे रहे है कब्जे को भी वेजा दखल देकर डिले कर रहे है सायल शाश्वत नावालिग के राईटस को प्रोटेस्ट करने के लिऐ आराजीयात को वास्ते इन्तजाम काश्त ताफैसला दावा रिसीवर के सुपुर्द करने के आदेश दिये जावे अन्त मे प्रार्थना पत्र रिसीवर किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायलान ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र रिसीवर कर प्रार्थना पत्र रिसीवर सायल को अस्वीकार कर कथन किया है। कि अनाज मण्डी करौली मे पचायती मंदिर है वाद ग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 3 के पूर्वजो के नाम से चली आ रही है। और वर्तमान मे भी प्रतिवादी नम्बर 3 के खातेदारी व कब्जे काश्त मे है गैरसायलान के पूर्वजो को बाई आपेरशन आफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त है। पंचायती मंदिर के राज भोग के लिए काफी दीगर जायदाद पंचायती मंदिर के पास है बीसीयो दुकान मकान कमिश्नर भरतपुर द्वारा की गयी है पंचायती मंदिर की दुकानो की किराया वसूली व वेदखली के मुकदमे दीवानी न्यायालय मे प्रबंधकगण द्वारा किये गये है। खुद प्रन्यास द्वारा नही किये गये है। दीवानी न्यायालयो मे प्रन्यास पंजीकृत होना स्वीकार तथ्य है हरदयाल अपने पूर्वजो के बाद काबिज काश्त का खातेदार रहा है। काफी पैसा लगाकर व जिसमानी मेहनत कर के काबिल काश्त बनाया है। आराजीयात से वादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है न जाने किस कारण वादी ने पक्षकार बनाया है हरदायाल को बाई ओवरेशन आफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है। प्रतिवादी नम्बर 3 हरदयाल का पुत्र होने के कारण खातेदार काबिज है। अतिक्रमी नही है मुताबिक राजस्थान जागीर अधिग्रहण अधि0 व काश्ताकरी के अनुसार इस्तमुरार जागीर भूमि है इस प्रकार की जागीरो को राज्य सरकार ने अपने विशेष नोटिफिकेशन के जरिये दिनांक 01.07.1963 को अधिग्रहण कर जागीर अधिनियम के अनुसार कमश तत्कालीन जिला कलेक्टर जागीर सवाई माधोपुर के द्वारा 12 ए का एवं राज0 देवस्थान उदयपुर द्वारा धारा 12बी का प्रमाण पत्र तत्कालीन प्रबन्धक पंचायती मंदिर गोविन्द देवजी घीस्यालाल के नाम जारी कर दिया जागीर अधि0 के तहत इन आदेशो की कोई अपील नही की गयी इन तथ्यो को छुपा कर प्रार्थना पत्रपेश किया है समस्त कागजात तत्कालीन समय के तहसीलदार करौली द्वारा एवं सहायक कमिश्नर देवस्थान एवं उपखण्ड अधिकारी करौली द्वारा बना कर जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर को भेजे गये वाई आपरेशन आफ लॉ विवादित आराजीयात की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार हो गयी और काबिज काश्त कर खातेदार हो गये। जागीर अधिग्रहण के उपरान्त मंदिर के कारिन्दो द्वारा मंदिर को सहायक कमिश्नर देवस्थान जयपुर के कार्यालय मे राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधि0 के अर्न्तगत सन् 1964 मे पंजीकृत करवाया गया जिसके साथ मंदिर की सम्पति की सूची भी पेश की गई उसमे भी आराजी मुतनाजा अथवा अन्य काश्त भूमि इन्द्राज नही है। मंदिर सास्वत नावालिग के कोटा मे नही आता है विधि की दृष्टि से सनातन धर्म की देवमूर्ति को जयूरिटिक परसन मानते हुये शाश्वत नाबालिग माना गया है न कि मंदिर का जागीर अधि0 के तहत जागीर भूमि के सम्बन्ध मे विवाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है प्रन्यास से सम्बन्धित लेखाजोखा कभी भी मंदिर के कारिदो द्वारा सहायक कमिश्नर देवस्थान भरतपुर अथवा उदयपुर मे प्रस्तुत नही किया गया है प्रन्यासी नियुक्ति का प्रार्थना पत्र मुताबिक राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधि0 सहायक देवस्थान विभाग भरतपुर के यहा तथा कथित मंदिर कारन्दो द्वारा प्रस्तुत की है विवादित आराजीयात तत्कालीन करौली रियासत के शासको द्वारा इस्तमुदार मे पंच महाजन को दी गई थी राजस्व रिकार्ड मे पुराने इन्द्राज पंच महाजन के नाम मिलती है इस प्रकार के इन्द्राजात को न्यायालय हाजा मे साजिशी दावो को हटवा दिया गया है मंदिर के तथा करिन्दे साजिशो एवं षडंयत्र रच कर काश्तकारो से राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गयी जागीर भूमि को वास्तविकता को छुपा कर हडपना चाहते है अतः मे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल बहस मे कथन किया कि सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि का गैरसायलान के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखे है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे गैरसायलान को भूमि के मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने एवं भूमि को रहन वय नही करने को पाबंद न्यायलय द्वारा कर रखा है सायल मंदिर सास्वत नावालिग है जिसकी सेवा व पूजा जमीन की व्यवस्था व देखरेख अग्रवाल समाज करौली द्वारा की जाती है सायलान मंदिर श्री गोविन्ददेवजी के प्रबन्धकगण व नेक्टफ्रेण्ड है सायलान व ठाकुरजी से कोई एडवर्स इस्ट्रेटेट नही है। वादग्रस्त भूमि मंदिर सायल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमे मंदिर की सेवा पूजा आदि का खर्चा चलता है। भूमि से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध नही है सम्बत 2010 से 2013 की जमाबंदी राजस्व रिकार्ड मे सायल मंदिर के हक मे खातेदारी इन्द्राज है। जिसका मिलान क्षेत्रफल भी पेश किया है सैटिलमेंन्ट विभाग ने गलत तरीके से गैरसालयान के पिता हरदयाल के हक मे खातेदारी इन्द्राज किये है मंदिर के खातेदारी इन्द्राज हटा दिये है। सैटिलमेंट विभाग के राजस्व इन्द्राज को बदलने का अधिकार बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के नही है गैरसालयान गलत खातेदारी इन्द्राज को फायदा उठाकर अपने नाम नामान्तकरण करा कर भूमि को रहन वय व प्लाटिंग करने पर आमादा है। और सायलान मंदिर को कब्जा देने से इन्कार है और सायल मदिर के खातेदारी से भी इन्कार हो गये है और सायल को भूमि से लाभ नही दे रहे है। इस लिऐ भूमि को काश्त इन्तजाम के लिए रिसीवरी मे लिया जावे। प्रार्थना पत्र सायल मंदिर ठाकुरजी स्वीकार किया जावे।

वकील गैरसायलान का बहस मे कथन है कि भूमि वादग्रस्त गैरसायलान नम्बर 3 मे पूर्वजो के नाम चली आ रही है और गैरसायलान नम्बर 3 के नाम है अनाज मंडी करौली मे पचायती मंदिर है गैरसायलान के पूर्वजो को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त है पंचाती मंदिर के राज भोग के लिए काफी दीगर जायदाद है वीसीयो दुकान मकान कटला है जिससे काफी आमदनी होती है प्रन्यास मे काफी अनियमिताए है जिसकी कार्यवाही जॉच उपरान्त सहायक देवस्थान विभग कमिश्नर भरतपुर द्वारा की गई है। दुकानो के बेदखली के मुकदमे मंदिर की ओर से दीवानी न्यायलय मे प्रन्यास के द्वारा किये गये है कुछ के नही किये है प्रन्यास को दीवानी न्यायालय मे पजीकृत होना स्वीकार नियत है हरदयाल अपने पूर्वजो के वाद काबिज काश्त कर खातदार है काफी पेसा लागकर व जिसमानी मेहनत करके भूमि को काबिल काश्त बनाया है। हरदयाल को कानूनी तौर पर खातेदारी अधिकार प्राप्त है। अतिकमी नही है राज0 जागीर अधिग्रहण व आर.टी.एक्ट के अनुसार इस्तमुरार जागीर भूमि है। और ऐसी भूमि को जागीरो के राज्य सरकार ने जरिये विशेष नोटीफिकेशन के दिनांक 1.7.1963 को अधिग्रहण कर लिप्त गया है तथा प्रमाण पत्र धीस्यायलाल तत्कालीन प्रबन्धक के नाम जारी कर दिया जिसकी कोई अपील नही हुई है। इन तथ्यो को छुपाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है और ऐसी भूमि वाई अपरेशन ऑफ लॉ के लैण्ड होल्डर राज0 सरकार की हो गयी है और काबिज काश्त कर खातेदार हो गये है। जागीर अधि0 के उपरान्त मंदिर के कारिन्दो द्वारा मंदिर को साहयक कमिश्नर देवस्थान जयपुर के कार्यालय मे राज0 सार्वजनिक प्रयास अधि0 के तहतसन 1964 मे पंजीकृत कराया है। जिससे साथ मंकदर की सम्पति की सूची पेश की है उसमे भी आराजीयात मुतनामा मंदिर की सम्पति सूची मे दर्ज नही है मंदिर सास्वत नावालिग के कोटा मे नही आता है वल्कि सनातन धर्मकी देवमूर्ति को प्यूरिरिक परसन मानते हुए सास्वत नावालिग माना गया है। राजस्व न्यायालय को जागीर भूमि का सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही है। वादग्रस्त आरजीयात तत्कालीन करौली रियासत के शासक द्वारा इस्तमार मे पंच महाजनान को दी गई थी राजस्व रिकार्ड मे पूराने इन्द्राज पंच महाजनान के नाम मिलती है इस प्रकार से इन्द्राज को न्यायालयय हाजा मे साजिशी दावो को हटवा लिया गया है सायल कारिदो द्वारा साजिशो से काश्तकारो से राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गयी जागीर भूमि को वास्तविकता को छुपाकर हडपना चाहते है प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

बहस वकील उभपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व दस्तावेज एवं रिपोर्ट आई एल आ[illegible] करौली [illegible] 2021 का विवेचन किया गया । पत्रावली मे प्रस्तुत जमाबंदी सम्बत 2010 [illegible] 20[illegible] मे भूमि सायल मंदिर गोविन्द देवजी करौली के खातेदारी मे [illegible] जमाबंदी सम्बत 2015 मे कालम नम्बर 5 मे हरदयाल पुत्र कन्हैया ब्रा[illegible] के नाम व क[illegible] नम्बर 1 मे सायल मंदिर का नाम अंकित है भूमि के साविक [illegible] क्षेत्रफल मे 395 ता 408 दर्ज है जो जमाबदी सम्बत 2010 से 2013 मे भी दर्ज है एवं जमाबदी सम्बत 2072 से 75मे भूमि गैरसायलान नम्बर 3 के खातेदारी मे दर्ज होना आई एल आर रिपोर्ट दिनांक 26.02.2021मे आई एल आर करौली द्वारा बताया गया है और भूमि मे कोई नवीन निर्माण नही होना एवं जो निर्माण हो रहा है व पुराना बताया गया है। इस समस्त तथ्यो से गैरसायलान द्वारा भूमि मे स्थगन आदेश के बाद कोई निर्माण नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करना प्रकट होता हैपक्षकारान के हक हकूक मूल वाद मे उभय पक्ष की साक्ष्य के बाद दावा के अन्तिम निर्माण से तय होने है गैरसायलान को अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद किया हुआ है भूमि को गैरसालयान खुर्द बुर्द याा नुक्सान कारित कर रहे है यह तथ्य पत्रावली मे प्रस्तुत रिकार्ड से प्रकट नही होता है रिसीवरी अत्यंत हार्स रेमेडी है जो अन्य कोई विकल्प उपस्थित न होने पर ही दिया जाना उचित होता है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र रिसीवर सायल प्रथम दृष्टया केस सांवित नही होने चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र रिसीवर सायल खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.3.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्रसिंह परमार)
उप खण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.04.12 12:35:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner